पत्रांक–भवन / बजट–84–योजना (खान एवं भूतत्व विभाग)–01 / 2021–22....

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

**राजेश कुमार सिंह,**
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

**सभी कार्यपालक अभियंता,**
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

दिनांकः–

विषयः– सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामिस्व (Royalty) की वसूली के संबंध में।

प्रसंगः– खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4587 दिनांक–11.09.23

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि आपके प्रमंडल अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित (Calculated) देय मालिकाना फीस (seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामिस्व (Royalty) की कटौती की गयी राशि की विवरणी संलग्न विहित प्रपत्र में दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वांछित प्रतिवेदन खान एवं भूतत्व विभाग को प्रेषित किया जा सके।

अनु० – यथा०।

विश्वासभाजन

ह०/–

**(राजेश कुमार सिंह)**
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1915 (भ०) पटना दिनांकः– 01/03/2024

**प्रतिलिपिः–**सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया उक्त प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी अधीनस्थ कार्यपालक अभियंताओं को निदेश देना चाहेंगे।

1/3/24

सरकार के अपर सचिव।

(76)

परमार रवि मनुभाई
भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव
Parmar Ravi Manubhai
I.A.S
Additional Chief Secretary

बिहार सरकार
Govt. of Bihar

खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–800 015
Department of Mines & Geology
Government of Bihar
Vikas Bhawan, Patna - 800 015
: 0612-2215857, 2215255 (Office)
email : ps.mine-bih@gmail.com

सं0सं0–प्र0–III/का0वि0/03/2021–4587/एम0, पटना, दिनांक– 11/09/2023

सेवा में,

**अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,**
पथ निर्माण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ पंचायती राज विभाग/शिक्षा विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
खाजपुरा, पटना–14।

विषयः– **कार्य विभागों द्वारा सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामिस्व (Royalty) की वसूली सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि कार्य विभागों द्वारा विपत्रों को पारित किये जाने के पूर्व खनन सामग्री यथा बालू, स्टोन चिप्स, साधारण मिट्टी, वगैरह की आपूर्ति/खरीद से संबंधित M&N प्रपत्र की पद्वति को समाप्त करते हुए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 के नियम– 51 के सहपठित Schedule III 'A' एवं नियम–57 के आलोक में क्रमशः स्वामिस्व (Royalty) एवं मालिकाना (Seigniorage) शुल्क के नियमानुसार कटौती एवं जमा करने के संबंध में दिशा–निदेश निम्नवत है :–

(1) सभी सरकारी विभाग अपनी स्कीम एवं परियोजनाओं के लिए किसी लघु खनिज का उपयोग करने हेतु मालिकाना शुल्क की कटौती अपने आपूर्तिकर्त्ता या संवेदक से करेंगे।

(2) कार्य विभाग द्वारा मालिकाना शुल्क की कटौती, योजना प्राक्कलन के अनुसार खनिज मूल्य के 10 प्रतिशत फ्लैट दर पर आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदारों से की जायेगी। कटौती की गई राशि संबंधित जिला खनन अधिकारी के पास जमा की जायेगी।

**कृपया ध्यान रहे की निर्माण कार्य में व्यवहृत होने वाले लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) खनिज के निर्धारित स्वामिस्व दर (Royalty) के अतिरिक्त देय है। अनुसूची– III के नियम– 51 (1)(ख) के अनुसार निर्धारित खनिजों की रॉयल्टी दर अनुलग्नक– I के साथ संलग्न है।**

उपरोक्त स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद यह पाया जा रहा है कि कतिपय कार्य विभागों द्वारा लघु खनिज से संबंधित ई–चालान के सत्यापन किये बगैर संवेदकों को

75

स्वामिस्व का भुगतान कर विपत्रों को पारित कर दिया जाता है, जिससे न केवल खान एवं भूतत्व विभाग को मालिकाना फीस एवं स्वामिस्व की क्षति होती है, बल्कि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निदेशों का भी उल्लंघन होता है।

अवैध रूप से खनन, परिवहन एवं भंडारण किए गए लघु खनिजों के उपयोग को रोकने एवं राजस्व को अपवंचन (evasion) रोकने हेतु यह आवश्यक है की वैध खदान से खनिज क्रय के समर्थन में कार्य विभाग अपने विपत्रों के साथ खनन विभाग द्वारा निर्गत ई–चालान की प्रति संलग्न करते हुए उसकी वैधता की भी जाँच करें। विपत्रों के साथ खनिज क्रय के साक्ष्य स्वरूप ई–चालान संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदकों के विपत्र से मालिकाना फीस के अतिरिक्त निर्धारित दर पर रॉयल्टी की वसूली भी कार्य विभागों द्वारा की जाए। समय–समय पर नियमाधीन अन्य कार्रवाई हेतु ऐसे संवेदकों की पूर्ण सूची एवं चालान सत्यापन से संबंधित सूची संबंधित कार्य विभागों द्वारा जिला खनन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

अवैध तरीके से खनन, परिवहन एवं भंडारण किये गए लघु खनिजों का किसी भी परियोजना में उपयोग करना उक्त नियमावली के नियम–56 (प्रति संलग्न) के तहत दंडनीय है एवं दंड की राशि कुल खनिज की स्वामिस्व के 25 गुणा एवं उक्त अवैध खनन एवं परिवहन में उपयोग किये गये वाहनों पर शमन शुल्क की राशि अधिकतम दो लाख रूपये प्रति वाहन तक अधिरोपित की जाती है। वर्तमान में ऐसे गैर सरकारी मामलों में अधिकतम दण्ड की राशि अर्थात खनिज स्वामिस्व के 25 गुणा दण्ड की राशि के रूप में वसूली जाती है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में कार्य विभागों से सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामिस्व (Royalty) की वसूली हेतु निम्न विन्दुओं पर सहयोग अपेक्षित है:–

i. जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंताओं को आपके विभाग/निगम की स्वीकृत परियोजनावार निष्पादित कार्य पर स्वामिस्व (Royalty) एवं मालिकाना (Seigniorage) शुल्क की गणना का प्रतिवेदन निम्न तालिका में जिला खनन पदाधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाने का निदेश दिया जाय :–

| कार्य विभाग का नाम | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष | | | | | | | | | |
| क्रम सं0 | योजना का नाम | निष्पादित कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों का मूल्य एवं मात्रा | सत्यापित चालानों की सं0 एवं निहित मात्रा | अपेक्षित रॉयल्टी (बिना चालान/चालान असत्यापित रहने की स्थिति में) | अपेक्षित मालिकाना फीस | खनन शीर्ष में जमा रॉयल्टी | खनन शीर्ष मे जमा मालिकाना फीस | बकाया रॉयल्टी | बकाया मालिकाना फीस |
| | | | | | | | | | |

ii. विपत्रों के साथ खनिज क्रय के साक्ष्य स्वरूप ई–चालान संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदकों के विपत्र से मालिकाना फीस के अतिरिक्त निर्धारित दर पर रॉयल्टी की वसूली भी कार्य विभागों द्वारा किया जाना सुनिश्चित की जाए।

iii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कार्य विभागों द्वारा संचालित परियोजनावार आकलित मालिकाना फीस एवं स्वामिस्व राशि का मिलान चरणबद्ध तरीके से करते हुए कुल वास्तविक कटौती की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि को संबंधित जिला खनन कार्यालय में जमा करना संबंधित कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रत्येक परियोजना की समाप्ति पर उसमे संन्निहित मालिकाना फीस एवं स्वामिस्व की राशि का खनन मद में जमा होना सुनिश्चित हो पाये।

iv. उल्लेखनीय है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा खनिजों की लेखांकन "Natural Resource Accounting" के तहत की जा रही है, जो कि आर्थिक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन करने की एक प्रक्रिया है। उक्त लेखांकन में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्राकृतिक संसाधन (खनिज) का प्रारंभिक जमा एवं जमा शेष सहित इनका मूल्य से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध करायी जानी है। उक्त परिस्थिति में कार्य विभागों द्वारा व्यवहृत लघु खनिजों की सत्यापन नहीं होने से लेखांकन में त्रुटियां आ सकती है। अतः त्रुटि विहिन प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (Natural Resource Accounting) के लिए यह आवश्यक है कि कार्य विभागों द्वारा उपयोग किये जाने वाले लघु खनिज का सत्यापन हो।

v. स्वामिस्व (Royalty) एवं मालिकाना (Seigniorage) शुल्क की राशि O-GRAS के माध्यम से सरकार के खनन शीर्ष– 0853 के अलावा खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS एवं NEFT के माध्यम से भी जमा की जा सकेगी। इसकी विवरणी अनुलग्नक–II में दी गई है।

अतः अनुरोध है कि आपके विभाग/निगम के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित (Calculated) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामिस्व (Royalty) के आधार पर संबंधित कार्यपालक अभियंता/पदाधिकारियों को रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की राशि जमा कराने एवं उपर्युक्त प्रपत्र में वांछित सूचनाएं प्रतिमाह उपलब्ध कराने का निर्देश देने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य सचिव 7/09/23

## भवन निर्माण विभाग

भवन प्रमडल का नामः—

| S.L | Opening Balance | Royalty | | | Seigniorage Fee | | | Mode of Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deduction | Deposit | Balance | Deduction | Deposit | Balance | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

कार्यपालक अतभियंता का हस्ताक्षर एवं मुहर